राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.24(185)आ.कृ. / रा.कृ.वि.यो. / 2016–17 / 6550–6550 दिनांक : 13-06-2016

1. प्रबन्ध निदेशक,
   राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन लि0, जयपुर
2. प्रबन्ध निदेशक,
   राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक संघ (तिलम संघ),
   नेहरू सहकार भवन, जयपुर
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम,
   सी–स्कीम, चौमूं हाऊस, तबेला, जयपुर
4. स्टेट मार्केटिंग मैनेजर,
   कृभको, नेहरू सहकार भवन, जयपुर
5. महा प्रबन्धक कृषि (आदान), राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि०
   (राजफेड), 4, भवानी सिंह रोड,जयपुर।
6. परियोजना प्रबन्धक,
   इण्डियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट को–आपरेटिव लि०,
   220 / 25, मेहता विला, पानेरियों की मादड़ी, मनामा मोटर्स के पीछे,
   हिरण मगरी, मेन रोड़, सेक्टर–5 उदयपुर–313002
7. उप महा प्रबन्धक (बीज विपणन), हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लि0,
   स्कोप कॉम्लेक्स, कोर–6, द्वितीय तल, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः–नॉन एनएफएसएम जिलों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में मोटे अनाज (कोर्स सीरीयल), धान ग्वार एवं गैंहू फसल के अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण हेतु लक्ष्य आवंटन एवं दिशा–निर्देश।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016–17 में मोटे अनाज (कोर्स सीरीयल), धान, ग्वार एवं गैंहू फसल के प्रमाणित बीज अनुदानित दर पर वितरण हेतु भौतिक एवं वित्तीय प्रावधान तथा सहायता पैटर्न का विवरण निम्न प्रकार है :–

<u>कम्पोनेन्ट–प्रमाणित बीज वितरण</u>

नाम फसल	जिले	देय अनुदान	बीज वितरण संस्था
मोटा अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ)	**नॉन एनएफएसएम जिलेः–** दौसा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, पाली, कोटा, बूँदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द (21 जिले)	**किस्मेंः–** (अ) **किस्मेंः**–दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर **बीज** की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू० 1500 / – प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन, कृभको, तिलम संघ, आई.आई.एफ.डी.सी., उदयपुर, एच.आई.एल. राजफेड
		संकर किस्मेंः– दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू० 5000 / – प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	उपरोक्तानुसार

ग्वार	समस्त जिले	दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1200/– प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन, नेशनल सीड कारपोरेशन, कृभको, तिलम संघ, आई.आई.एफ.डी.सी., उदयपुर, एच.आई.एल.
धान	धान उत्पादक जिले	दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों के बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1000/– प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	उपरोक्तानुसार
गेहूँ	**नॉन एनएफएसएम जिले:–** डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमन्द, चुरू, जैसलमेर, अजमेर, दौसा, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़ (19 जिले)	दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्मों पर बीज की कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू॰ 1000/– प्रति क्विण्टल, जो भी कम हो।	उपरोक्तानुसार

नोटः–खरीफ फसलों हेतु जिलेवार एवं संस्थावार अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। गेहूँ एवं जौ फसल के जिलेवार एवं संस्थावार प्रमाणित बीज वितरण का कार्यक्रम पृथक से रबी सीज़न में भिजवाया जाएगा।

प्रमाणित बीज वितरण हेतु दिशा–निर्देश :–

1 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज प्राप्त करने हेतु कृषक द्वारा सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर **परिशिष्ठ–1** पर संलग्न प्रपत्र में सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी की सिफारिश उपरान्त उनके क्षेत्र में कार्यरत ग्राम सेवा/क्रय विक्रय सहकारी समिति/ सार्वजनिक क्षेत्र की बीज संस्थाओं के अधिकृत निजी विक्रेताओं से सिफारिश की गई फसल की किस्म का बीज अनुदानित दर पर प्राप्त कर सकेंगे।

2 कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी कृषकों को उनके क्षेत्र के लिये आवंटित लक्ष्यों की सीमा में ही "पहले आओ, पहले पाओ" के सिध्दान्त पर उक्त प्रपत्र में अनुदानित बीज की मात्रा, फसल व किस्म की सिफारिश करेंगे।

3 प्रमाणित बीज वितरण मद में सार्वजनिक क्षेत्र की उपरोक्त सभी बीज संस्थाओं द्वारा मोटे अनाज (बाजरा, ज्वार, मक्का, जौ), धान एवं ग्वार फसलों के प्रमाणित बीज की प्रति क्विण्टल कुल कीमत में से उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदान राशि कम करके चयनित जिलों में अनुदानित दर पर कृषकों को बीज विक्रय किया जाएगा।

4 बीज विक्रेता सम्बन्धित उत्पादक संस्था के माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा सिफारिश किये गये प्रपत्र मय कृषक सूची, जिसमें कृषक का पूर्ण पता, दिये गये बीज एवं विक्रय बिल का विवरण आदि सहित सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद को प्रेषित करेंगे।

5 एक किसान को **अधिकतम 2 हैक्टर क्षैत्र** तक ही प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा।

6 प्रमाणित बीज वितरण कम्पोनेन्ट के तहत राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्रमशः 17.80 एवं 13.50 प्रतिशत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। इस हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन

जाति के कृषकों को संबंधित जिलों में उनकी जनसंख्या के अनुपात एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया जाये।

7 कुल अनुदान राशि में से 30 प्रतिशत राशि का व्यय महिला वर्ग के कृषकों एवं 33 प्रतिशत व्यय लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु किये जाने के प्रयास किये जावे।

8 लाभार्थी कृषकों की सूची का संधारण बीज संस्था द्वारा स्वयं किया जायेगा, जिसका रेण्डम वेरिफिकेशन सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद द्वारा किया जावेगा। रेण्डम वेरिफिकेशन की सूचना संलग्न **प्रपत्र "अ"** में संधारित की जावेगी।

9 बीज संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों एवं उनकी मांग अनुसार 70 प्रतिशत अनुदान राशि अग्रिम दी जा सकेगी तथा शेष राशि का पुनर्भरण रेण्डम वेरिफिकेशन की सूचना एवं अनुदानित दर पर विक्रय किये गये बीज की मात्रा का प्रमाणिकरण संबंधित उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद से करवाकर बीज संस्था द्वारा कृषि आयुक्तालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर किया जायेगा।

10 योजना अन्तर्गत खरीफ 2016 हेतु मोटे अनाज वाली फसलों (बाजरा, ज्वार, मक्का), धान एवं ग्वार के प्रमाणित बीज वितरण हेतु जिलेवार, संस्थावार एवं फसलवार भौतिक लक्ष्य **परिशिष्ठ– 2 से 6** पर संलग्न है।

11 जिलेवार आवंटित लक्ष्यों के अनुसार ही कार्य सम्पादित किया जावे, जिसकी भौतिक एवं वित्तीय प्रगति संलग्न **प्रपत्र "ब"** में कृषि आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

यह दिशा निर्देश एवं लक्ष्य आवंटन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

13/6/2016
(एच॰एल॰ मीना)
अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान)

क्रमांक : एफ.24(185)आ.कृ./रा.कृ.वि.यो./2016–17 /6440 – 6540 दिनांक :13-6-2016

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, (समस्त)...................
4 अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान/विस्तार/एनएमओओपी/अनुसंधान/समन्वयक) कृषि आयुक्तालय, जयपुर।
5 संयुक्त निदेशक कृषि (आदान/आरकेविवाई/जल उपयोग प्रकोष्ठ, योजना/गुण नियंत्रण /एनएमओओपी/एटीसी) मुख्यालय जयपुर।
6 संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) समस्त।
7 परियोजना निदेशक कृषि, सी.ए.डी., कोटा।
8 उप निदेशक कृषि (विस्तार) आई.जी.एन.पी. बीकानेर।
9 उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद समस्त ....

13/6/16
(डा॰आर॰जी॰ शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (आदान)

प्रपत्र–अ

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण–रेण्डम सेम्पलिंग के आधार पर निरीक्षण/ सत्यापन रिपोर्ट

नाम जिला ----------   वर्ष ------

क्र. सं.	नाम संस्था	फसल का नाम	अनुदानित दर पर वितरित बीज की कुल मात्रा (क्वि0)	लाभार्थी कृषकों की कुल संख्या				निरीक्षण		विशेष विवरण
				सा॰	अनुजा	अजजा	योग	कृषकों की संख्या	बीज की मात्रा (क्वि0)	

प्रमाणित किया जाता है कि दिशा निर्देशानुसार :–

1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को जिले में उनकी जनसंख्या के अनुसार एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया गया है।

2 एक किसान को **2 हैक्टर क्षैत्र** से अधिक का प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3 महिला वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता से अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण करवाया गया है।

4 बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज का विक्रय उनके द्वारा तय की गई कीमत में से अनुदान राशि कम करके विभाग की सिफारिश अनुसार कृषकों को विक्रय किया गया है।

हस्ताक्षर

उप निदेशक कषि (विस्तार)
जिला परिषद, ...

प्रपत्र–ब

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मदवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट

नाम जिला .... वर्ष ....

क्र. सं.	नाम संस्था	कम्पोनेन्ट	फसल का नाम मय किस्म	वितरित बीज की मात्रा (क्विं0)	अनुदान दर	भुगतान की गई राशि (रू0)			
						सामान्य	अनुजा	अजजा	योग
1	2		3	4	5	6	7	8	9

प्रमाणित किया जाता है कि दिशा निर्देशानुसार :–

1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कृषकों को जिले में उनकी जनसंख्या के अनुसार एवं इस श्रेणी के कृषकों की बीज मांग अनुसार लाभान्वित करवाया गया है।

2 एक किसान को **2 हैक्टर क्षैत्र** से अधिक का प्रमाणित बीज अनुदान पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

3 महिला वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता से अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण करवाया गया है।

4 बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज का विक्रय उनके द्वारा तय की गई कीमत में से अनुदान राशि कम करके विभाग की सिफारिश अनुसार कृषकों को विक्रय किया गया है।

हस्ताक्षर

उप निदेशक कषि (विस्तार)
जिला परिषद, ...

परिशिष्ठ–1

कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद ....

अनुदान पर प्रमाणित बीज हेतु अनुशंषा

कृषक श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नि श्री .... कृषक श्रेणी (सामान्य/अनु. जाति/अनु. जन जाति) निवासी गांव .... कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र .... सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र .... को **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)** में प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत **कोर्स सीरियल, धान एवं ग्वार** फसल .... की दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्म .... का .... हैक्टर क्षेत्र के लिए उत्पादक संस्था राजस्थान राज्य बीज निगम लि./तिलम संघ/ राजफेड/ राष्ट्रीय बीज निगम/कृभको/आईएफएफडीसी/हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाईड लि० का .... .किलोग्राम प्रमाणित बीज अनुदान पर (अनुदान राशि .... रूपये प्रति किलोग्राम की दर से) उपलब्ध करवाने की अनुशंषा की जाती है। यह अनुशंषा आज दिनांक .... को जारी की जाती है तथा **जारी तिथि से 15 दिवस तक मान्य** होगी।

हस्ताक्षर
कृषक
दिनांक–

हस्ताक्षर
कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्र ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कृषक को योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि कम करने के बाद फसल .... की दस वर्ष से कम अवधि की अधिसूचित किस्म .... का .... किलोग्राम प्रमाणित बीज बिल न0 .... दिनांक .... के द्वारा उपलब्ध करवा दिया गया है।

हस्ताक्षर
कृषक
दिनांक–

हस्ताक्षर

नाम अधिकृत विक्रेता/
फर्म का नाम

Annexure-2

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Disribution Target under RKVY									
					(seed in qtls & area in				
	Crop -Bajra								
S. No.	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution			
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Rajfed	Total
1	DAUSA	150000	5500	91.67	500	200	300	0	500
2	TONK	55000	2100	95.45	200	100	100	0	200
3	BHARATPUR	115000	4300	93.48	300	150	150	0	300
4	DHOLPUR	85000	3300	97.06	200	150	50	0	200
5	S.MADHOPUR	72000	2500	86.81	200	150	50	0	200
6	KARAULI	128000	5000	97.66	400	200	100	100	400
7	JAISALMER	110000	2500	56.82	300	100	100	100	300
8	GANGANAGAR	4000	100	62.50	30	20	10	0	30
9	HANUMANGARH	45000	1200	66.67	30	20	0	10	30
10	SIROHI	14000	500	89.29	380	100	80	200	380
11	PALI	65000	2300	88.46	400	100	100	200	400
12	KOTA	0	0	0.00	0	0	0	0	0
13	BARAN	1000	30	75.00	20	10	10	0	20
14	BUNDI	2000	70	87.50	20	10	10	0	20
15	JHALAWAR	0	0	0.00	0	0	0	0	0
16	BANSWARA	0	0	0.00	0	0	0	0	0
17	DUNGARPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	0
18	UDAIPUR	0	0	0.00	0	0	0	0	0
19	PRATAPGARH	0	0	0.00	0	0	0	0	0
20	CHITTORGARH	0	0	0.00	0	0	0	0	0
21	RAJSAMAND	1000	30	75.00	20	20	0	0	20
	TOTAL	**847000**	**29430**	**86.87**	**3000**	**1330**	**1060**	**610**	**3000**

Annexure-3

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Disribution Target under RKVY

(seed in qtls & area in

Crop - Maize

S. No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	DAUSA	1000	150	75.00	50	25	25	50
2	TONK	10000	2000	100.00	100	50	50	100
3	BHARATPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
4	DHOLPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
5	S.MADHOPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
6	KARAULI	0	0	0.00	0	0	0	0
7	JAISALMER	0	0	0.00	0	0	0	0
8	GANGANAGAR	0	0	0.00	0	0	0	0
9	HANUMANGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
10	SIROHI	22000	3100	70.45	100	50	50	100
11	PALI	18000	500	13.89	200	50	150	200
12	KOTA	6000	1200	100.00	50	20	30	50
13	BARAN	9000	1600	88.89	50	20	30	50
14	BUNDI	36000	6000	83.33	200	50	150	200
15	JHALAWAR	32000	3800	59.38	100	50	50	100
16	BANSWARA	125000	21500	86.00	1300	300	1000	1300
17	DUNGARPUR	80000	14000	87.50	800	100	700	800
18	UDAIPUR	175000	23500	67.14	800	100	700	800
19	PRATAPGARH	50000	8650	86.50	400	100	300	400
20	CHITTORGARH	150000	18000	60.00	550	100	450	550
21	RAJSAMAND	60000	2500	20.83	300	100	200	300
	TOTAL	**774000**	**106500**	**68.80**	**5000**	**1115**	**3885**	**5000**

Annexure-4

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Disribution Target under RKVY								
	Crop - Jowar				(seed in qtls & area in ha)			
S. No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	DAUSA	6000	500	83.33	100	50	50	100
2	TONK	58000	5500	94.83	700	300	400	700
3	BHARATPUR	50000	500	10.00	150	50	100	150
4	DHOLPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
5	S.MADHOPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
6	KARAULI	0	0	0.00	0	0	0	0
7	JAISALMER	2000	50	25.00	30	30	0	30
8	GANGANAGAR	0	0	0.00	0	0	0	0
9	HANUMANGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
10	SIROHI	4000	200	50.00	100	50	50	100
11	PALI	110000	900	8.18	500	200	300	500
12	KOTA	3000	200	66.67	70	50	20	70
13	BARAN	0	0	0.00	0	0	0	0
14	BUNDI	0	0	0.00	0	0	0	0
15	JHALAWAR	2000	100	50.00	50	20	30	50
16	BANSWARA	0	0	0.00	0	0	0	0
17	DUNGARPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
18	UDAIPUR	8000	500	62.50	100	50	50	100
19	PRATAPGARH	0	0	0.00	0	0	0	0
20	CHITTORGARH	11000	400	36.36	100	50	50	100
21	RAJSAMAND	8000	400	50.00	100	50	50	100
	TOTAL	**262000**	**9250**	**35.31**	**2000**	**900**	**1100**	**2000**

Annexure-5

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Disribution Target under RKVY										
	Crop - Guar					(seed in qtls & area				
S. No	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution				
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Tilam Sangh	Kribhco	Total
1	AJMER	25000	1310	34.93	300	200	100	0	0	300
2	JAIPUR	48000	2500	34.72	500	300	200	0	0	500
3	DAUSA	12000	630	35.00	100	50	50	0	0	100
4	TONK	6000	315	35.00	100	50	50	0	0	100
	TOTAL	**91000**	**4755**	**34.84**	**1000**	**600**	**400**	**0**	**0**	**1000**
5	SIKAR	120000	4000	22.22	900	400	400	0	100	900
6	JHUNJHUNIU	95000	5100	35.79	800	300	400	0	100	800
7	NAGAUR	170000	3000	11.76	820	400	400	0	20	820
	TOTAL	**385000**	**12100**	**20.95**	**2520**	**1100**	**1200**	**0**	**220**	**2520**
8	ALWAR	40000	2100	35.00	200	100	100	0	0	200
9	BHARATPUR	26000	1400	35.90	100	50	50	0	0	100
10	DHOLPUR	1000	53	35.33	10	10	0	0	0	10
11	S.MADHOPUR	5000	250	33.33	50	50	0	0	0	50
12	KARAULI	5000	250	33.33	50	50	0	0	0	50
	TOTAL	**77000**	**4053**	**35.09**	**410**	**260**	**150**	**0**	**0**	**410**
13	BIKANER	754000	3500	3.09	1000	300	400	0	300	1000
14	CHURU	380000	4000	7.02	1000	400	400	0	200	1000
15	JAISALMER	360000	4500	8.33	500	200	200	0	100	500
	TOTAL	**1494000**	**12000**	**5.35**	**2500**	**900**	**1000**	**0**	**600**	**2500**
16	GANGANAGAR	275000	13000	31.52	1100	400	300	200	200	1100
17	HANUMANGARH	480000	5000	6.94	700	200	300	100	100	700
	TOTAL	**755000**	**18000**	**15.89**	**1800**	**600**	**600**	**300**	**300**	**1800**
18	BARMER	380000	2500	4.39	400	200	200	0	0	400
19	JODHPUR	230000	3000	8.70	500	200	200	0	100	500
	TOTAL	**610000**	**5500**	**6.01**	**900**	**400**	**400**	**0**	**100**	**900**
20	SIROHI	16000	800	33.33	100	50	50	0	0	100
21	JALORE	76000	3800	33.33	300	150	150	0	0	300
22	PALI	48000	2000	27.78	200	100	100	0	0	200
	TOTAL	**140000**	**6600**	**31.43**	**600**	**300**	**300**	**0**	**0**	**600**
23	KOTA	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
24	BARAN	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
25	BUNDI	1000	50	33.33	5	5	0	0	0	5
26	JHALAWAR	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**1000**	**50**	**0.00**	**5**	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**
27	BANSWARA	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
28	DUNGARPUR	2000	42	14.00	5	5	0	0	0	5
29	UDAIPUR	10000	300	20.00	50	50	0	0	0	50
30	PRATAPGARH	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	**12000**	**342**	**19.00**	**55**	**55**	**0**	**0**	**0**	**55**
31	BHILWARA	25000	1300	34.67	150	100	50	0	0	150
32	CHITTORGARH	6000	100	11.11	30	30	0	0	0	30
33	RAJSAMAND	4000	200	33.33	30	30	0	0	0	30
	TOTAL	**35000**	**1600**	**30.48**	**210**	**160**	**50**	**0**	**0**	**210**
	GRAND TOTAL	3600000	65000	12.04	10000	4380	4100	300	1220	10000

Annexure-6

Seed Distribution and SRR (%) Plan for Kharif-2016 & Subsidized Seed Disribution Target under RKVY

Crop - Paddy (seed in qtls & area in ha)

S. No.	District	Plan-2016-17			Total Target for Subsidized Seed Distribution	Agencywise Target for Subsidized Seed Distribution		
		Proposed Area	Seed Dist	SRR (%)		RSSC	NSC	Total
1	ALWAR	0	0	0.00	0	0	0	0
2	BHARATPUR	2000	50	10.00	5	0	5	5
3	DHOLPUR	0	0	0.00	0	0	0	0
4	KARAULI	2000	50	10.00	5	5	0	5
5	GANGANAGAR	10000	100	4.00	10	5	5	10
6	HANUMANGARH	33000	1100	13.33	30	15	15	30
7	KOTA	15000	450	12.00	20	10	10	20
8	BARAN	15000	1050	28.00	7	4	3	7
9	BUNDI	33000	1800	21.82	9	4	5	9
10	JHALAWAR	3000	100	13.33	5	5	0	5
11	BANSWARA	25000	100	1.60	3	3	0	3
12	DUNGARPUR	16000	100	2.50	2	2	0	2
13	UDAIPUR	5000	50	4.00	2	2	0	2
14	PRATAPGARH	1000	50	20.00	2	2	0	2
	TOTAL	**160000**	**5000**	**12.50**	**100**	**57**	**43**	**100**